

**भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्ग  
उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत प्रमाणपत्र प्रारूप**

**FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES  
APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS UNDER GOVERNMENT OF INDIA**

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी ..... पुत्र/ पुत्री श्री  
..... निवासी ग्राम / शहर ..... तहसील ..... जिला  
..... प्रदेश / संघ क्षेत्र ..... का / की सदस्य है। जो निम्नलिखित आदेशों के अंतर्गत  
अन्य पिछड़े वर्ग में अधिसूचित हैं:-

This is to certify that ..... son of Shri ..... of  
village ..... District / Division ..... in the State of  
..... Belongs to the ..... Community which is recognized as a  
backward class under:-

i) भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1 खण्ड - 1 सं. 186 दिनांक 13 सितम्बर, 1993 को प्रकाशित संकल्प सं 12011/68/93 – बीसीसी (सी), दिनांक 10 सितम्बर, 1993.

Resolution No. 12011/68/93 BCC (c) dated 10 Sep '93, published in the Gazette of India Extraordinary part 1 Section 1 No. 186 dated 13 Sep '93.

ii) भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1 सं. 163, दिनांक 20 अक्टूबर, 1994 में प्रकाशित संकल्प सं 12011/9/94 – बीसीसी दिनांक 19 अक्टूबर, 1994.

Resolution No. 12011/9/94-BCC dated 19 Oct '94, published in the Gazette of India Extraordinary part 1 Section 1 No. 163 dated 20 Oct '94.

iii) भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1 सं. 88, दिनांक 25 मई, 1995 में प्रकाशित संकल्प सं 12011/7/95 – बीसीसी दिनांक 24 मई, 1995.

Resolution No. 12011/7/95-BCC dated the 24 May '95, published in the Gazette of India Extraordinary part 1 Section 1 No. 88 dated 25 May '95.

iv) संकल्प सं 12011/96/94 दिनांक 09 मार्च, 1996 – बीसीसी।  
Resolution No. 12011/96/94-BCC dated 09 march '96.

v) भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1 सं. 210, दिनांक 11 दिसंबर, 1996 में प्रकाशित संकल्प सं 12011/44/96 – बीसीसी दिनांक 06 दिसंबर, 1996

Resolution No. 12011/44/96-BCC dated the 06 Dec '96, published in the Gazette of India Extraordinary part 1 Section 1 No. 210 dated 11 Dec '96.

vi) संकल्प सं 12011/13/97 दिनांक 03 दिसंबर, 1997 – बीसीसी.  
Resolution No. 12011/13/97-BCC dated the 03 Dec '97

vii) संकल्प सं 12011/99/94 दिनांक 11 दिसंबर, 1997 – बीसीसी.  
Resolution No. 12011/99/94-BCC dated the 11 Dec '97

viii) संकल्प सं 12011/68/98 दिनांक 27 अक्टूबर, 1999 – बीसीसी।

Resolution No. 12011/68/98-BCC dated 27 Oct '99.

ix) भारत के असाधारण राजपत्र सं. 270 दिनांक 06 दिसंबर, 1999 में प्रकाशित संकल्प सं 12011/88/98 – बीसीसी।

Resolution No. 12011/88/98-BCC dated the 06 Dec '99, published in the Gazette of India Extraordinary part 1 Section 1 No. 270 dated 06 Dec '99.

x) भारत के असाधारण राजपत्र सं. 71 दिनांक 04 अप्रैल, 2000 में प्रकाशित संकल्प सं 12011/36/99 – बीसीसी।

Resolution No. 12011/36/99-BCC dated the 04 Apr 2000, published in the Gazette of India Extraordinary part 1 Section 1 No. 71 dated 04 Apr, 2000.

xi) भारत के असाधारण राजपत्र सं. 210 दिनांक 21 सितंबर, 2000 में प्रकाशित संकल्प सं 12011/44/99 – बीसीसी।

Resolution No. 12011/44/99-BCC dated the 21 Sep 2000, published in the Gazette of India Extraordinary part 1 Section 1 No. 210 dated 21 Sep, 2000.

2. श्री ..... और /या उनका परिवार सामान्यतया ..... जिला/ प्रभाग में निवास करते हैं।

Shri ..... and/ or his family ordinary reside (s) in the District/ division ..... of the State .....

3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञान सं. 36012/22/93-स्था, (एससीटी) दिनांक 08.09.1993 के का.ज्ञा.सं 36033/2/2004 स्था (आरक्षण), दिनांक 09.03.2004 के का.ज्ञा.सं 36033/2/2004 की अनुसूची के कॉलम -3 में उल्लिखित क्रीमीलेयर (सम्मान वर्ग) व्यक्तियों/ वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं।

This is also to certify that he/ she does not belong to the persons/ sections (Creamy Layer) mentioned in column 3 of the Schedule to the Govt. of India. Department of personal and Training O.M. No. 36012/22/93 Estt. (SCT) dated 08.09.1993 which is modified vide Deptt. of personal and Training O.M. No. 36033/2/2004 Estt. (Res) dated 09.03.2004.

दिनांक/ Dated:

जिला मैजिस्ट्रेट/District Magistrate

या पिप्टी कमिश्नर आदि/ or Deputy Commissioner etc.

मुहर/Seal

**नोट/Note:** अ) यहाँ शब्द "आमतौर से रहते/रहती हैं" का अर्थ वही होगा जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।/ The term ordinarily used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the people Act. 1950.

आ) जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारियों की सूची नीचे दी गई है।/ The authorities competent to issue Caste Certificate are indicated below:

i) जिला मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/ कलेक्टर/ पिप्टी कमिश्नर/एपिशनल पिप्टी कमिश्नर/ पिप्टी कलेक्टर/ प्रथम श्रेणी का स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट/ सब डिवीज़नल मैजिस्ट्रेट/ तालुका मजिस्ट्रेट/ एक्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट/ एकस्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर (प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट के रैंक से नीचे का न हो)।

District Magistrate/Additional Magistrate/ Collector/ Deputy Commissioner/ Additional Deputy Commissioner/ Deputy Collector/ 1st class Stipendiary Magistrate/ Sub-Divisional Magistrate/

Taluka Magistrate/ Executive Magistrate/ Extra Assistant Commissioner(not below the rank of 1st class Stipendiary Magistrate)

ii) चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/ एडिशनल चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/ Chief Presidency class Magistrate/ Additional Chief Presidency Magistrate/ Presidency Magistrate.

iii) रेविन्यू अफसर जिसका ँद तहसीलदार से कम न हो/ Revenue Officer not below the rank of Tahasildar.

iv) उस इलाके का सब ढिवीजनल आफिसर जहां उम्मीदवार और/ या उसका ँरिवार आमतौर से रहता हो/ Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and/ or his family resides.